



झारखण्ड सरकार

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग।

झारखण्ड सरकार, राँची

अधिसूचना सं०: 9/RCH-85/2014

२७ (H.S.N)

दिनांक : २८.१०.१४

अधिसूचना

गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान –तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छः मासिक प्रशिक्षण) नियम, 2014
अन्तर्गत छः मासिक प्रशिक्षण हेतु राज्य अंतर्गत अवस्थित निम्नलिखित संस्थान अधिसूचित किए जाते हैं:-

1. राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) राँची
2. बोकारो जेनरल अस्पताल, बोकारो
3. टाटा मुख्य अस्पताल
4. पी० एम० सी० एच०, धनबाद
5. एम० जी० एम० मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर

भारत का राजपत्र, असाधारण भाग II खण्ड -3, उपखण्ड I, नई दिल्ली, दिनांक 9 जनवरी 2014 की अधिसूचना सं० 11 के प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाता है।

राज्य अन्तर्गत RIMS Ranchi के Radiology विभाग के विभागाध्यक्ष को पदेन इस प्रशिक्षण के निमित्त उपरोक्त विभिन्न अधिसूचित संस्थानों का नोडल पदाधिकारी घोषित किया जाता है।

यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से।

(बी० के० त्रिपाठी)

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

ज्ञापांक:-

२७ (H.S.N)

दिनांक:- २८.१०.१४

प्रतिलिपि:-

1. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय मंत्री स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के आप्त सचिव/सभी संबंधित सदस्यों/पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. गठित राज्य स्तरीय परामर्श समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
3. निदेशक जन सूचना एवं सम्पर्क विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी प्राचार्य, मेडिकल कॉलेज/सभी अधीक्षक मेडिकल कॉलेज अस्पताल को सूचनार्थ प्रेषित।
5. निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, स्वास्थ्य निदेशालय, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
6. सभी सिविल सर्जन, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
7. सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, झारखण्ड को सूचनार्थ प्रेषित।

(बी० के० त्रिपाठी)

प्रधान सचिव

स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग